

दिख  
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
धेवरदास बनाम सरकार  
घारा 136  
प्रकरण सख्या 22/2012


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

22/2  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 22/2012 धेवरदास बनाम  
तहसीलदार लूणी अन्तर्गत घारा 136 भूराजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती  
हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस  
प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे  
तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी  
के खसरा नम्बर 195 राजस्व रेकार्ड मे डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी  
का नोट लगाया गया है उसे हटाये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमे तहसीलदार लूणी से  
जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई

तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक/भूअ/2019/112 दिनांक 14.06.  
2019 के तहत जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा ग्राम  
बोरानाडा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 195 रकबा  
72.05 बीघा भूमि वर्तमान मे डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी हिस्सा पूर्ण  
खातेदार के नाम से दर्ज है पूर्व मे परिपत्र प.2(R)राज./14/90/37  
दिनांक 13.12.1991 प्रेषक उप शासन सचिव राजस्थान (गुप 6) विभाग  
राजस्थान जयपुर प्रेषित जिला कलक्टर जोधपुर तथा श्रीमान तहसीलदार  
जोधपुर के आदेश क्रमांक/भूअ/91/3922 दिनांक 24.12.91 के पुजारी  
का नाम विलोपित कर डोली ठाकुर जी के नाम दर्ज किया था पत्रावली  
का अवलोकन व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत नही होता है।

अत- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 136 के स्वीकार  
योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर  
दफ्तर दाखिल हो।

  
सहायक कलक्टर एवं जजघाट अधिकारी,  
लूणी